



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. Y.6800 /C-6/Sa-729/OA No. 309/2022/24

Dated 9-2-24

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001

Sub: Regarding Submission of compliance report on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 21.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in original application no. 309 of 2022, Rambharose Tomar vs. State of UP & Ors.

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 21.12.2023 in Original Application No. 309 of 2022, Rambharose Tomar Vs. State of UP, Please find attached herewith Compliance Report on behalf of U.P. Pollution Control Board for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Dr Ram Karan)

Chief Environmental Officer

(Circle-6)

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida,
District-GB Nagar, 201301.

Chief Environmental Officer

(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com



**COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN
PURSUANCE TO THE ORDER DATED 21.12.2023
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION
NO. 309 OF 2022, RAMBHAROSE TOMAR VS. STATE
OF UP & ORS.**

1. That vide its order dated 21.12.2023 this Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has passed the following direction:-

"..... 5. The report does not reflect the action which has been taken against all the 7880 defaulting brick kilns and the proceedings after issuance of closure orders as against 7466 defaulter brick kilns. The outcome of show cause notice issued to 414 defaulter brick kilns has also not been reflected in the report. After filing of the report on 29.08.2023 substantial time has lapsed. Hence, learned Counsel for the UPPCB has prayed for four weeks' time for filing further report in respect of the action taken in the meanwhile....."



1. That in compliance to the order dated 01.11.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, the compliance report on behalf of U.P. Pollution Control Board (hereinafter referred as UPPCB) has been submitted before this Hon'ble Tribunal vide UPPCB letter H91483/C-6/Sa-729/OA No. 309/2022/2023 dated 31.03.2023.

2. That as per above the UPPCB has submitted inventory dated 29.03.2023, as stated in Paragraph No.-3 and 4 to the compliance report dated 31.03.2023, regarding the Brick Kilns, there are 19718 brick kilns established in the state out of which 11838 brick kilns have obtained Consent to Operate (CTO) from the Board and 7880 brick kilns have not obtained valid CTO under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. Out of total 7880 defaulter Brick kilns, the Board has issued Closure orders against 7466 defaulter brick kilns and Show Cause Notice against 414 defaulter brick kilns under section 31 A of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

3. That as of now, as per the updated inventory of Brick Kilns dated 31.12.2023, there are **19718** brick kilns established in the State out of which **12728** brick kilns



have valid Consent to Operate (CTO) from the UPPCB and 6990 brick kilns have not obtained valid CTO under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The UPPCB has issued Closure orders against all 6990 defaulter brick kilns under section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

4. That the list of defaulter brick kilns against whom closure order has been issued under section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 by the UPPCB is available on the website of UPPCB and URL of the same is (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm).

5. That Hon'ble High Court in Writ Petition No-3709(MB)/2010, Dinanath Shukla vs. State of U.P. and others, was pleased to direct the District Magistrate and the District Heads of Police to ensure that no brick kilns is allowed to run without the valid Consent of the UPPCB. The relevant part of the order dated 26.04.2010 passed in above noted writ petition is being quoted below:

" ...It is for the District Magistrate and the Police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board



and necessary license of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any compliant is made to this regard or even if it comes to the knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities."

6. That the UPPCB has issued closure orders against defaulter brick kilns under Section 31A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 with the directions to the respective District Magistrates and District Heads of the Police for the implementation of closure order in compliance of the provisions of Section 31A of the Air Act as well as in compliance of government orders dated 21.08.2019, 08.07.2021, 15.03.2021 and 19.05.2023. The copy of the order dated 19.05.2023 is being attached herewith as **Annexure No-1** to this report.
7. That UPPCB vide letter dated 08.02.2024 has also requested to the respective Police Commissioner, District Magistrates and District Heads of the Police for the implementation of closure order in compliance of the provisions of Section 31A of Air Act. The copy of the letter dated 08.02.2024 is being attached herewith as **Annexure No-2** to this report. 

712

Therefore, the compliance report is being filed in compliance to the order dated 21.12.2023 for the perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Dated: 09/12/2024



(Dr Ram Karan)

Chief Environmental Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Lucknow

महत्वपूर्ण

संख्या-456/81-6-2023

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर/लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/आगरा/प्रयागराज/गाजियाबाद।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 19 मई, 2023

विषय-प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों से फैल रहे वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, के शासनादेश संख्या-970/81-7-2019-39(पर्या0)/2014-टी०सी०-1, दिनांक 21.08.2019, शासनादेश संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या0)/2014-टी०सी०-1, दिनांक 08.07.2021 एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6, के शासनादेश संख्या-1022/81-6-2022 दिनांक 17.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वर्णित आदेशों के अनुपालन में अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ईट भट्टा संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों तथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा वाणिज्यकर के जिला स्तरीय कार्यालयों से परीक्षणोपरान्त ही अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के अतिरिक्त अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी ईट भट्टों के विरुद्ध बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के स्तर से निर्गत आदेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या0)/2014-टी०सी०-1 दिनांक 15.03.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० को निर्देश दिये गये है।

2- ईट भट्टों द्वारा तकनीकी दृष्टिकोण से उपर्युक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित एवं संचालित न किये जाने के कारण परिवेशीय वायु गुणता कुप्रभावित न हो तथा ईट भट्टा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपर्युक्त स्थलों पर स्थापित किये जाये, इस उद्देश्य से पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-921/55-पर्या/12-(पर्या)-11 दिनांक 27.06.2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 प्रख्यापित की गई है जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त है। उक्त नियमावली के नियम-3 में उपबन्धित है कि "ईट भट्टा की फुँकाई के संबंध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमाम्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्टा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गई हो"।

3- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं०-1103/2023, प्रमोद कुमार राज बली सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में ईट भट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2023 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है :-

"..... 3. The Court is flooded with this type of petitions. Every week more than one and at times many petitioners are claiming similar grievance of unauthorised brick kilns set up or that

- 2 -

running brick kilns have not been closed despite directions issued by the statutory authorities. A third variety of case is also coming to this Court where the petitioners are claiming to be brick kiln owners who are complying with the law, yet, they are not being allowed to run their brick kilns.

4. Individual merits of such matters apart, this much is clear from the facts observed above that widespread grievance exists with the citizens as to due compliance and enforcement of the law.

5. By very nature and scope of influence, environment issues are such as may affect the present and future generations to come. The Court cannot ignore ramifications of violation of environmental laws in the inherent hope that the statutory authorities and government functionaries would remain aware and act with due diligence as to ensure strict compliance of the law. At present, on prima facie basis, slackness is observed in the due implementation of the law.-----"

4- राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों की सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm) पर अपलोड की गई है, जिसमें से वर्तमान में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों का संचालन निषिद्ध किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि ईट भट्टा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईट भट्टों को अग्रतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करें जब तक ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लेवें तथा ऐसे ईट भट्टे जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है उनका संचालन निषिद्ध किया जाये।

5- शासन स्तर पर प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने के संबंध में समीक्षा की गई तथा समीक्षा में पाया गया कि अवैध रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों के संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन जिला प्रशासन द्वारा यथा समय सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिससे अवैध रूप से संचालित भट्टों के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

6- अतः प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश तथा समय ≤ पर मा० न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना एवं जी०एस०टी० पंजीयन के बिना अवैध ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त ऐसे ईट भट्टे जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेंस निर्गत न किया जाना एवं प्रदेश में अवैध रूप से संचालित ईट भट्टों के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश का त्वरित गति से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक त्रैमास के अन्त में शासन को उपलब्ध भी कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


(Signed by) मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव
Date: 19/05/2023 19:37:53
Reason: Approved

संख्या-456 (1)/81-8-2023-तद दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज/संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन/भूतत्व एवं खनिकर्म/गृह/राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० राजस्व परिषद, लखनऊ/प्रयागराज।
- 4- आयुक्त, वाणिज्यकर, उ०प्र० लखनऊ।

- 5-निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
- 6-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ।
- 7-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अवैध भट्टों की सूची, समन्वय स्थापित करके संबंधित जिला अधिकारी को उपलब्ध कराये, जिससे मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- 8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(घनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure No-2

Ref. No. Ho.6755/सी-6/ख.०-2०१/नोटल ईट भट्टा/2०24

Dated 8.2.2024

पंजीकृत/ई-मेल

सेवा में,

1. पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर/लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/आगरा/प्रयागराज/गाजियाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 309/2022 राम भरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 309/2022 राम भरोसे तोमर बनाम स्टेट ऑफ यूपी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के सुसंगत अंश का अवलोकन करने का कष्ट करें :-

"..... 5. The report does not reflect the action which has been taken against all the 7880 defaulting brick kilns and the proceedings after issuance of closure orders as against 7466 defaulter brick kilns. The outcome of show cause notice issued to 414 defaulter brick kilns has also not been reflected in the report. After filing of the report on 29.08.2023 substantial time has lapsed. Hence, learned Counsel for the UPPCB has prayed for four weeks' time for filing further report in respect of the action taken in the meanwhile....."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-3709(एम0बी0)/2010 दीनानाथ शुक्ला बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में ईट भट्टों के संबंध में दिनांक 26.04.2010 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....We, therefore, decline to entertain the petition, as there is nothing on record to indicate that the brick kiln is running or is likely to run without of obtaining the 'no objection certificate' from the U.P. Pollution Control Board and the necessary licence from the Zila Panchayat as argued by the counsel for the petitioner. It is for the district magistrate and the police to see that no brick kiln is allowed to run in the absence of 'no objection certificate, of the U.P. Pollution Control Board and necessary licence of the Zila Panchayat, including the present brick kiln and if any complaint is made in this regard or even if it comes to knowledge of the authorities otherwise, appropriate action has to be taken by the district authorities....."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका सं0-20773/2014, सुमित सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य में भी ईट भट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 01.05.2014 को आदेश पारित किए गये हैं, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

"..... The due exercise of statutory powers by the Pollution Control Board also requires the co-operation of the District Administration and the law enforcement Machinery of the district shall, therefore, take all necessary steps to ensure due compliance with the lawfull instructions and directives issued by the Board....."

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या-970/81-7-2019-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 21.08.2019, संख्या-582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 08.07.2021, संख्या-303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टीसी-1 दिनांक 15.03.2021 तथा पत्र संख्या-1022/81-6-2022 दिनांक 17.11.2022 एवं संख्या-456/81-6-2023 दिनांक 19.05.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना संचालित ईट भट्टों को बन्द कराये जाने एवं ऐसे ईट भट्टों जिन्हें बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत न किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है। विगत वर्ष में निर्गत पत्र दिनांक 19.05.2023 की छायाप्रति संलग्न है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 19.05.2023 के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्त एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

राज्य में अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे ईट भट्टों की सूची उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट (http://www.uppcb.com/status_brick_klin.htm) पर उपलब्ध है, जिनका संचालन निषिद्ध किया जाना है। अतएव यह आवश्यक है कि ईट भट्टा संचालन हेतु अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/ लाइसेंस जारी करने वाले राज्य सरकार के समस्त विभाग ईट भट्टों को अग्रेतर संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/लाइसेंस/अनापत्ति तब तक जारी न करे जब तक ईट भट्टा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त न कर लेवे तथा ऐसे ईट भट्टों जिन्हें उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त नहीं है उनका संचालन निषिद्ध किया जाये।

अतः पर्यावरणीय अधिनियमों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-309/2022 एवं अन्य वादों में पारित आदेशों तथा उ०प्र० शासन के उपरोक्त वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध उल्लंघनकारी ईट भट्टों के संचालन को निषिद्ध किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने एवं ऐसे ईट भट्टों जिन्हें राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, को संचालनार्थ अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने वाले विभागों यथा जिला पंचायत, भूतत्व एवं खनिकर्म व वाणिज्य कर के जिला स्तरीय कार्यालयों से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति/लाइसेन्स निर्गत न किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित जिला प्रशासन से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


सदस्य सचिव